आवश्यक निर्देश
(REVISED)

आवेदन–पत्र की पूर्तियाँ करने के पूर्व समस्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा स्वयं परीक्षार्थी द्वारा आवेदन–पत्र की पूर्ति करें–

1. आवेदन–पत्र में उल्लेखित विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक पूर्ति करें ।
2. पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पूरक/द्वितीय परीक्षा के पूर्व घोषित किया जाना अनिवार्य नहीं है।
3. कोई भी परीक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है।
5. पुनर्मूल्यांकन की सुविधा क्रियात्मक, मौखिक, प्रायोगिक, प्रतिवेदन तथा सर्वेक्षण के लिए प्रभावशील नहीं है।
6. पुनर्मूल्यांकन के परिणामों की सूची महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी ।
7. पुनर्मूल्यांकन का सामान्य शुल्क प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 500/– है। इसमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
8. आवेदन–पत्र अंकसूची जारी होने के दिनाँक से 15 दिन के अंदर सामान्य शुल्क सहित तथा इसके पश्चात् 7 दिन तक रू. 100/– सहित प्रस्तुत करना चाहिए। अंकसूची जारी होने का दिनाँक इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेगें।
9. शुल्क केवल SBI Collect के द्वारा ही जमा किया जावेगा।
10. पुनर्मूल्यांकन के आवेदन–पत्र प्रस्तुति से आगामी परीक्षा आवेदन–पत्र का संबंध नहीं है। अतएव अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा न कर उसी परीक्षा का आवेदनपत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
11. पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लगता है। अतएव इस अवधि में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।
12. आवेदन–पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंकसूची की फोटो प्रति लगाना आवश्यक है।
13. अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगें। गलत अनुक्रमांक लिखने/प्रश्नपत्र का उल्लेख स्पष्ट न होने से आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। दो से अधिक प्रश्नपत्रों का उल्लेख करने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
14. पृष्ठ क्र. 01 पर मुद्रित 'पत्र व्यवहार के लिए पता' वाले स्थान पर आवेदक अपना पूरा पता मोबाईल नंबर सहित सावधानीपूर्वक लिखें ।
15. आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त किये जा सकेगा –
    1. सही शुल्क न जमा करने पर
    2. प्रश्नपत्र/विषय का शीर्षक सही न लिखने पर
    3. स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न न करने पर
16. शुल्क किसी भी हाल में वापस नहीं किया जाएगा।
17. पुनर्मूल्यांकन के पूर्व उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना होगी। पुनर्गणना में यदि अंक कम होते हैं तो छात्रा को मान्य होगें।
18. [redacted]। यदि छात्रा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करती है तो इसका अभिप्राय है कि छात्रा समस्त निर्देश/शर्तो से सहमत है।

E:2022\Revaluation form_Exam 2018

20.10.22